न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
14 / 2018 / प्रा.पत्र / 2018	08.02.2018	02.09.2021

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री लोकेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश अग्रवाल जाति महाजन निवासी कोलियों का मोहल्ला टोडारायसिंह जिला टोंक मैसर्स जगदम्बा मिष्ठान भण्डार गणेश मन्दिर के पास कोलियों का मोहल्ला टोडारायसिंह जिला टोंक
2– मैसर्स जगदम्बा मिष्ठान भण्डार गणेश मन्दिर के पास कोलियों का मोहल्ला टोडारायसिंह जिला टोंक
3–श्री अनिल खण्डेलवाल निवासी 3 / 262, न्यू विद्याधर नगर, जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स देव मार्केटिंग जी. 18 रिद्वी सिद्वी कॉम्प्लेक्स, बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग चांदपोल बाजार जयपुर
4– मैसर्स देव मार्केटिंग जी. 18 रिद्वी सिद्वी कॉम्प्लेक्स, बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग चांदपोल बाजार जयपुर
5–श्री भरत कुमार सुखीजा निवासी 11 / 622, मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर राज. नॉमिनी मैसर्स बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमिटेड एफ / 196–199, बिछावल इण्डस्ट्रीज एरिया, बीकानेर राज.।
6–मैसर्स बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमिटेड एफ / 196–199, बिछावल इण्डस्ट्रीज एरिया, बीकानेर राज.।

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 02.09.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 16:02:08 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.10.2017 को समय 3.00 पीएम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स जगदम्बा मिष्ठान भण्डार गणेश मन्दिर के पास कोलियों का मोहल्ला टोडारायसिंह जिला टोंक पर पहुंचा, प्रोपराईटर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

की की हैसियत से लोकेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश अग्रवाल जाति महाजन निवासी कोलियों का मोहल्ला टोडारायसिंह जिला टोंक मैसर्स जगदम्बा मिष्ठान भण्डार गणेश मन्दिर के पास कोलियों का मोहल्ला टोडारायसिंह जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिका होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान की रैक मे **सोन पपडी(सदाबहार बीकाजी ब्राण्ड)** जिसके बैच नं0 17 जे.99 व पैकिंग दिनांक 1 अक्टूबर 2017 अंकित थी, रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, विक्रेता श्री लोकेश कुमार अग्रवाल को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता लोकेश कुमार अग्रवाल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान की रैक मे 450 ग्राम के 60 पैकेट **सोन पपडी(सदाबहार बीकाजी ब्राण्ड)** रखे हुये मे से 450 ग्राम के 4 पैकेट का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री लोकेश कुमार अग्रवाल को रू0 540/–अक्षरे पॉच सौ चालीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **सोन पपडी(सदाबहार बीकाजी ब्राण्ड)** 4 पैकेट 450 ग्राम पैक को एक–एक पैकेट के बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग व चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1809 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1809 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. लोकेश कुमार अग्रवाल के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री लोकेश कुमार अग्रवाल ने मौके पर सोन पपडी(सदाबहार बीकाजी ब्राण्ड) [illegible] वारंटी मैसर्स देव मार्केटिंग जी. 18 रिद्वी सिद्वी कॉम्प्लेक्स, बाबा हरिश्चन्द्र [illegible] पोल बाजार जयपुर का बिल क्रमांक/इन्वॉइस नं0 5146 दिनांक [illegible] की। मैसर्स देव मार्केटिंग से पत्राचार करने पर उनके द्वारा मैसर्स बीकाजी फूड्स [illegible] लिमिटेड एफ/196–199,

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 16:02:08 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

बिछावल इण्डस्ट्रीज एरिया, बीकानेर राज. बिल कमांक/इंन्वॉइस नं0 एसआईयु 1 ए-1920-1718-03147 दिनांक 03.10.2017 की छायाप्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर करखाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2017/4774 दिनांक 04.12.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/779/एक्ट/2017/779 दिनांक 22.11.2017 अनुसार लोकेश कुमार अग्रवाल से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **सोन पपडी(सदाबहार बीकाजी ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (c) (i) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) व **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) व **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का **सोन पपडी(सदाबहार बीकाजी ब्राण्ड)** का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1,2,5 व 6 अनुपस्थित। अप्रार्थीगण की और से **सोन पपडी(सदाबहार बीकाजी ब्राण्ड)** का एरिया सेल्स मैनेजर उपस्थित हुआ। मेनेजर द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिंस **सोन पपडी(सदाबहार बीकाजी ब्राण्ड)** का विकय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) व **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सोन पपडी(सदाबहार बीकाजी ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) व **अवमानक** (Sub-Standard)स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी **श्री लोकेश कुमार अग्रवाल** पुत्र श्री ओमप्रकाश अग्रवाल जाति महाजन निवासी कोलियों का मोहल्ला टोडारायसिंह जिला टोंक मैसर्स जगदम्बा किराना भण्डार गणेश मन्दिर के पास

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 15:02:08 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

कोलियों का मोहल्ला टोडारायसिंह जिला टोंक पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार रू0)अप्रार्थी श्री अनिल खण्डेलवाल निवासी 3/262, न्यू विद्याधर नगर, जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स देव मार्केटिंग जी. 18 रिद्धी सिद्धी कॉम्प्लेक्स, बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग चांदपोल बाजार जयपुर पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार रू0) अप्रार्थी श्री भरत कुमार सुखीजा निवासी 11/622, मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर राज. नॉमिनी मैसर्स बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमिटेड एफ/196–199, बिछवाल इण्डस्ट्रीज एरिया, बीकानेर राज.पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार रू0)आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 02.09.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय टोंक

2-9-21

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 15:02:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner